

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको

सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०३९ सालको ऐन नं. ५

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि  
विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम  
नेपालप्रतापभास्कर अजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी  
त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद  
परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐ रामपट्ट परम ज्योतिर्मय  
सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु  
परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री  
श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम्  
सदा समर विजयिनाम् ।

आर्थिक वर्ष २०३९।४० को सेवा र कार्यहरूको लागि संचित कोषबाट केही रकम  
खर्च गर्ने अधिकार दिने र विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

स्तावना: आर्थिक वर्ष २०३९।४० को सेवा र कार्यहरूको लागि संचित कोषबाट केही  
रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको  
सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम: यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०३९" रहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०३९।४० को निमित्त संचित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:

आर्थिक वर्ष २०३९।४० को निमित्त अनुसूची १ बमोजिम संचित कोषमाथि  
व्ययभार हुने रकमबाहेक अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम  
३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा

आधिकारिकता मुद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जम्मा रूपैयाँ ८,८२,८८, ३४,०००।- (आठ अरब बयासी करोड अठासी लाख चौतीस हजार, पेस्की खर्च ऐन, २०३९ अनुसार खर्च हुने भएको रकम समेत) मा नबढाई त्यतिसम्म रकम संचित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. विनियोजन: यो ऐनद्वारा संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०३९।४० को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

तर, उक्त सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिएको रकम कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० (दश) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।

मन्त्रि हुर्क आह्वान गर्ने गरी गीत किर्तुमान ७ तर्फ कि ०४।१६०९ केस तर्जोस  
नर्त किर्तुस नै गीतस नै गीतसनी ७ तर्जो गीतस नै गीत

हुर्क आह्वान गर्ने गरी गीत किर्तुमान ७ तर्फ कि ०४।१६०९ केस तर्जोस गीतस  
गीतस गीतस नै गीतसनी गीतस कि ७ तर्जो गीतस नै गीतस

किर्तुमान गीतस आह्वान गर्ने गरी गीतस गीतसनी ४ तर्जो

७ तर्जो गीतस नै गीतसनी ७ तर्जो

७ तर्जो " १६०९ तर्जो गीतसनी" गीतस किर्तुस गीतस तर्जोस .१

गीतसनी गीतस गीतस गीतसनी कि ०४।१६०९ केस तर्जोस .१

गीतसनी गीतस गीतसनी १ तर्जोस गीतसनी कि ०४।१६०९ केस तर्जोस  
गीतस कि ६ तर्जोस ७ तर्जो गीतस कि ६ तर्जोस तर्जोसनी कि ७ तर्जोस

गीत ४ तर्जोस कि ६ तर्जोस गीतसनी तर्जोसनी ७ तर्जोस तर्जोसनी गीतसनी ७ तर्जोस

आधिकारिक मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

अनुसूची-१

नेपालको संविधान अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १               | २             | ३                                 | ४                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| क्रम-<br>संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                      | सञ्चित कोष-<br>माथि व्ययभार<br>हुने रकम<br>रु. हजारमा |
| १               | १-१           | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | १,५८,६३                                               |
| २               | १-२           | राजसभा                            | १४,२६                                                 |
| ३               | १-४           | महालेखा परीक्षकको विभाग           | ६४,६६                                                 |
| ४               | १-५           | सर्वोच्च अदालत                    | ५०,२९                                                 |
| ५               | १-६           | लोक सेवा आयोग                     | ७८,६३                                                 |
| ६               | १-७           | निर्वाचन आयोग                     | ५०,३१                                                 |
| ७               | १-८           | अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग     | ९,९०                                                  |
| ८               | १-९           | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय       | २९,२५                                                 |
| ९               | ११-१          | साँवा भुक्तानी                    | १०,२०,७०                                              |
| १०              | ११-२          | ब्याज भुक्तानी                    | २०,९२,०६                                              |
| ११              | १२-६          | अन्य                              | ५,००                                                  |
| १२              | १२-७          | भैपरी आउने                        | १०,००                                                 |
|                 |               |                                   | ३५,८३,६९                                              |

आधिकारिक मुद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची-२

ढफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १               | २             | ३                                           | ४                              |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| क्रम-<br>संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                | विनियोजित<br>रकम<br>रु. हजारमा |
| १               | १-३           | राष्ट्रिय पञ्चायत                           | ९८,१९                          |
| २               | १-१०          | पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति              | ४७,३९                          |
| ३               | २-१           | मन्त्रिपरिषद्                               | ५०,००                          |
| ४               | २-२           | श्री ५ को सरकारको सचिवालय                   | ४,१४,६१                        |
| ५               | २-३           | जिल्ला प्रशासन                              | ३,८७,८३                        |
| ६               | २-४           | प्रहरी                                      | २१,३६,५५                       |
| ७               | २-५           | कारागार                                     | २,२५,११                        |
| ८               | २-६           | विविध                                       | १,०७,२९                        |
| ९               | २-७           | प्रशासन सुधार                               | ४,५०                           |
| १०              | ३-१           | मालपोत                                      | २,८०,५०                        |
| ११              | ३-२           | भंसार                                       | १,६७,०८                        |
| १२              | ३-३           | अन्तःशुल्क                                  | ७५,३९                          |
| १३              | ३-४           | कर                                          | ६६,३०                          |
| १४              | ३-५           | राजस्व न्यायाधिकरण                          | २,४०                           |
| १५              | ४-१           | योजना                                       | १२,५९                          |
| १६              | ४-२           | तथ्याङ्क                                    | ९,८१                           |
| १७              | ४-३           | टक्सार                                      | ८६,११                          |
| १८              | ४-४           | महालेखा नियन्त्रक कार्यालय                  | २,३८,५२                        |
| १९              | ४-५           | मेट्रिक नाप तौल                             | २१,२३                          |
| २०              | ५-१           | अदालत                                       | ३,९६,७१                        |
| २१              | ५-१           | अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन<br>अदालत | २,६३                           |
| २२              | ६-१           | वैदेशिक सेवा                                | ५,८६,५८                        |
| २३              | ६-२           | विविध                                       | ९८,२८                          |
| २४              | ७-१           | रक्षा                                       | ३४,४९,६१                       |
| २५              | ७-२           | विविध                                       | ५,७०,५३                        |
| २६              | ८-१           | शिक्षा                                      | १३,१९,७७                       |

आधिकारिकता मुद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

नेपाल राजपत्र भाग २

(१३)

| १               | २                | ३                                                  | ४                              |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| क्रम-<br>संख्या | अनुदान<br>संख्या | सेवा र कार्य                                       | विनियोजित<br>रकम<br>रु. हजारमा |
| २७              | ८-२              | स्वास्थ्य                                          | १२,३४,४९                       |
| २८              | ८-३              | पिउने पानी                                         | ६८,३७                          |
| २९              | ८-४              | पञ्चायत तथा स्थानीय विकास                          | ५,९०,८७                        |
| ३०              | ८-५              | अन्य सामाजिक सेवाहरू                               | ३,१८,७३                        |
| ३१              | ९-१              | कृषि                                               | ४९,२७                          |
| ३२              | ९-२              | सिचाइ                                              | ५३,४९                          |
| ३३              | ९-३              | भूमिसुधार                                          | १,९९,९१                        |
| ३४              | ९-४              | नापी                                               | ७८,४६                          |
| ३५              | ९-५              | वन                                                 | ८८,०८                          |
| ३६              | ९-६              | उद्योग तथा खानी                                    | ४४,२०                          |
| ३७              | ९-७              | सञ्चार                                             | ६,४९,९४                        |
| ३८              | ९-८              | यातायात                                            | ५,७१,७९                        |
| ३९              | ९-९              | विद्युत्                                           | ८३,७६                          |
| ४०              | ९-१०             | अन्य आर्थिक सेवाहरू                                | ३५,६९                          |
| ४१              | १०-१             | ऋण र लगानी                                         | १,३५,००                        |
| ४२              | १२-१             | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको<br>भ्रमण खर्च | २,००,००                        |
| ४३              | १२-२             | निवृत्तभरण, भत्ता तथा उपदान                        | ५,०३,२३                        |
| ४४              | १२-३             | अतिथि सत्कार                                       | २,००                           |
| ४५              | १२-४             | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                   | १,००                           |
| ४६              | १२-५             | मुआब्जा                                            | १०,००                          |
| ४७              | १२-६             | अन्य                                               | १२,३७,००                       |
| ४८              | १२-७             | भैपरी आउने                                         | १६,९०,००                       |
|                 |                  |                                                    | १,८७,००,७९                     |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(१४)

नेपाल राजपत्र भाग २

अनुसूची-३

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १               | २                | ३                         | ४                              |
|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| क्रम-<br>संख्या | अनुदान<br>संख्या | सेवा र कार्य              | विनियोजित<br>रकम<br>रु. हजारमा |
| १               | २-७              | प्रशासन सुधार             | १,६७,१२                        |
| २               | ४-१              | योजना                     | १,७९,१४                        |
| ३               | ४-२              | तथ्याङ्क                  | १,३९,३०                        |
| ४               | ६-१              | शिक्षा                    | ६८,९३,९२                       |
| ५               | ६-२              | स्वास्थ्य                 | २८,५५,१७                       |
| ६               | ६-३              | पिउने पानी                | २३,६१,८२                       |
| ७               | ६-४              | पञ्चायत तथा स्थानीय विकास | ४२,६४,१०                       |
| ८               | ६-५              | अन्य सामाजिक सेवाहरू      | १४,८६,६२                       |
| ९               | ९-१              | कृषि                      | ९५,०६,८४                       |
| १०              | ९-२              | सिचाई                     | ६५,८९,५९                       |
| ११              | ९-३              | भूमिसुधार                 | २,८५,१९                        |
| १२              | ९-४              | नापी                      | ५,२५,४९                        |
| १३              | ९-५              | वन                        | २६,४२,४०                       |
| १४              | ९-६              | उद्योग तथा खानी           | ६२,२८,२५                       |
| १५              | ९-७              | सञ्चार                    | ४,२२,४५                        |
| १६              | ९-८              | यातायात                   | १,१९,०२,८०                     |
| १७              | ९-९              | विद्युत्                  | ९४,३६,२६                       |
| १८              | ९-१०             | अन्य आर्थिक सेवाहरू       | १५,६३,०९                       |
| १९              | १२-६             | अन्य                      | १८,३८,००                       |
| २०              | १२-७             | भैपरी आउने                | ३,००,००                        |
|                 |                  |                           | ६,९५,८७,५५                     |

आज्ञाले,

ध्रुववर सिंह थापा

श्री ५ को सरकारको सचिव

लालमोहर सदर मिति:- २०३१।६।११।२

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मूद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।